कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दिनांक 07 सितम्बर 2016

संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 2431

नीट यू0पी0 2016 की प्रथम चक की काउंसिलिंग में दिनांक 07 तथा 08 सितम्बर 2016 को राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

इस कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 04 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 08 सितम्बर 2016 को राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं (फीस इत्यादि) सम्बन्धित काउंसिलिंग केन्द्र कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ के मेडिकल कालेज कार्यालय के स्तर पर एवं काउंसिलिंग केन्द्र, लखनऊ में प्रवेश सम्बन्धी उपरोक्त कार्यवाही एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के काउंसिलिंग स्थल पर ही किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई है।

1– उल्लेखनीय है कि प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 08 सितम्बर 2016 निर्धारित है। अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चक की काउंसिलिंग दिनांक 09 सितम्बर 2016 से प्रारम्भ हो रही है, अखिल भारतीय कोटे की रिक्त सीटों की सूचना दिनांक 09 सितम्बर 2016 से पूर्व भारत सरकार को उपलब्ध कराई जानी है, अतः समय की अल्पता तथा छात्रों की सुविधा हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं (फीस इत्यादि) सम्बन्धित काउंसिलिंग केन्द्र कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ के मेडिकल कालेज कार्यालय के स्तर पर एवं काउंसिलिंग केन्द्र, लखनऊ में प्रवेश सम्बन्धी उपरोक्त कार्यवाही एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के काउंसिलिंग स्थल पर आज **दिनांक 07 सितम्बर 2016 के अपरान्ह 1:00 बजे से प्रारम्भ की जा रही है।**

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि Spot fee/Admission की व्यवस्था **राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों** तक ही सीमित है।

3– निजी क्षेत्र के कालेजों पर आवंटित छात्रों की प्रवेश की कार्यवाही संबंधित संस्थानों द्वारा की जायेगी।

शासनादेश दिनांक 31.8.2016 के प्राविधानों के अनुसार द्वितीय चक की काउंसिलिंग दिनांक ~~21.9.2016~~ 21-9-2016 से प्रारम्भ होगी। अतः निजी क्षेत्र के कालेजों की सीटों पर आवंटित छात्रों द्वारा दिनांक 20.9.2016 तक प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है।

4– किसी भी दशा में निजी क्षेत्र के कालेजों की Spot fee /Admission की कार्यवाही काउंसिलिंग स्थल पर सम्पन्न नहीं की जायेगी।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 2432-34 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
2– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ।
3– काउंसिलिंग केन्द्र प्रभारी, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ।
4– प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेण्टल कालेज।

(वी0एन0त्रिपाठी)
महानिदेशक

vishal/DTSC/CPMT/2016/NEET 2016/1stcouns./letters